न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 89/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. शान्तिलाल पिता गणेश सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. उदयराम पिता हीरालाल माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 03.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 437 रकबा 0.10 हैक्ट. आराजी संख्या 4230/787 रकबा 0.14 हैक्ट. आराजी संख्या 4557 रकबा 0.03 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.27 हैक्ट. भूमि खाता संख्या 837 पर स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने की वजह से पक्षकारान के दरमियान आपस में सीमा संबंधी विवाद पैदा होते रहते हैं। तथा प्रार्थी को घास काटने में, फसल कास्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा विवाद होता रहता हैं। जिससे प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षी को कई मर्तबा पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षी हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थी ने दिनांक 30.05.2018 को विपक्षी को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षी इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है। विपक्षी प्रार्थी की आराजियात के पड़ौसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 25.09.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 437 रकबा 0.10 हैक्ट. आराजी संख्या 4230/787 रकबा 0.14 हैक्ट. आराजी संख्या 4557 रकबा 0.03 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.27 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षी की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 200/– अक्षरे दौ सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 03.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा